

राँची समाहरणालय, राँची

जिला योजना

अति अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना


वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला नवप्रवर्तन निधि (DIF) से राँची जिला के एक गाँव में कृषि प्रक्षेत्र अन्तर्गत किसानों के आय वृद्धि हेतु आवश्यक तकनीक एवं प्रशिक्षण के साथ एक कार्य योजना "कृषि गुरुकुलम" के अधिष्ठापन (Establishment of Soil Health Management Centre for 2 years) स्वीकृत राशि मो0 10.58 लाख रू0. के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन पंजीकृत संस्थाओं से इच्छा की अभिव्यक्ति दिनांक 28.07.2020 के अपराह्न 1:00 बजे तक जिला योजना कार्यालय, राँची में आमंत्रित की जाती है। उक्त तिथि को ही अपराह्न 3:00 बजे इच्छा की अभिव्यक्ति समिति के समक्ष खोली जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् जमा किये जाने वाले प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

शर्तें राँची जिला के वेबसाईट <https://ranchi.nic.in> पर देखा जा सकता है।

ह0/-
उपायुक्त,
राँची।


शर्तें एवं नियम :-

1. इच्छा की अभिव्यक्ति में प्राप्त आमंत्रण द्वि-लिफाफा प्रणाली (Double Envelope System) के अनुसार डाली जायेगी, जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग लिफाफे में मुहर बंद कर उसे फिर एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर सभी आवश्यक कागजातों को जमा करना होगा। मुख्य लिफाफे के ऊपर अपना नाम, पता, मोबाईल नं0, पैन नं0, खाता संख्या एवं पंजीयन संख्या अंकित करते हुए सभी प्रमाण-पत्र लिफाफे के अंदर रखना अनिवार्य होगा। इच्छा की अभिव्यक्ति करने वालों को GST प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
2. कम्पनी को अग्रधन राशि 25000.00 (पच्चीस हजार) रू0. बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी उपायुक्त, राँची के पदनाम से जमा करना अनिवार्य होगा।
3. इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ लिफाफे के अंदर अधिकृत संस्था को विगत दो वर्षों का आयकर प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही काली सूची में दर्ज नहीं रहने का शपथ पत्र (नोटरी पब्लिक से अभिप्रमाणित) भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. इस निमित्त आमंत्रित इच्छा की अभिव्यक्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार करने या रद्द करने अथवा कार्य आवंटित करने का अधिकार का निर्णय निविदा समिति को सुरक्षित होगा।
5. इच्छा की अभिव्यक्ति के तहत सभी प्रस्तावकों को प्राप्त प्रस्तावों के खोलने के समय प्रोजेक्ट के तकनीकी पहलुओं से संबंधित सम्पूर्ण प्रदर्शन (Demonstration) समिति के समक्ष उपस्थित रहकर प्रस्तुत करना होगा। संस्था कार्य योजना में यह प्रस्तुत करना होगा कि किसानों के पैदावार बढ़ाने एवं उत्पाद के प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग में कैसे मदद करेगी।
6. संस्था को कम से कम इस प्रकार के कार्य का कम से कम तीन साल का अनुभव होना आवश्यक होगा तथा झारखण्ड राज्य में कार्य करने के अनुभव वाली संस्था को प्राथमिकता दिया जायेगा। उससे संबंधित सम्पूर्ण विवरणी संलग्न करना होगा।
7. 50% Marks Presentation पर एवं 50% Marks Financial bids पर दिया जायेगा।
8. Krishi Gurukulam का अधिष्ठापन आदेश निर्गत की तिथि से तीन माह में अंदर पूर्ण करना आवश्यक होगा। प्रोजेक्ट के अन्तर्गत गांव में किये जाने वाले कार्य का दो वर्ष तक पर्यवेक्षण का कार्य संस्था को करना होगा।
9. सभी प्रकार के वैधानिक मामलों का निष्पादन राँची न्यायालय में मान्य होगा।
10. Krishi Gurukulam के अधिष्ठापन संबंधी विशिष्टताएँ राँची जिला के वेबसाईट <https://ranchi.nic.in> पर देखा जा सकता है।


उपायुक्त,
राँची।

Works/Activities to Be Performed Under Krishi Gurukulam Project

Sl.No.	Activity
1.	Selection of Resource Persons in project village and their orientation and proper training on following subjects (at least 2 per subject): a. Soil testing and soil health management (balanced use of fertilisers and organic inputs) b. Organic farming, multi-cropping, intercropping etc. c. Food processing and packaging for the farm produce of the village. d. Upkeep and management of water bodies and other natural resources in the village. e. Management and facilitation of various Govt schemes for the village development and farmers welfare f. Marketing facilitation
2.	Baseline Survey of Krishi Gurukulam village in line with project requirement/objectives
3.	Soil testing and Health Management Facility establishment and mobilization at the village
4.	Skill development of Resource Persons in soil testing
5.	Extension of soil testing facility to all farmers of the village. Collection and Analysis of Soil Samples. Preparation and Distribution of Soil Health Cards to all farmers.
6.	Further skilling of Resource Persons in soil health management (using balanced use of fertilizers as well as organic/farm based inputs)
7.	Skilling of another set of Resource Persons in organic farming. Start of organic farming by Resource Persons to develop demonstration farm for other farmers of the village
8.	Registration of Farmers for organic farming in the village;
9.	Farmers hands on training in organic farming, Crop Protection using organic/in farm/multi-cropping etc. methods. Formation of organic Clusters. Guiding and skilling farmers registered with any prevailing Govt Scheme on organic farming for the best usage of the scheme.
10.	Expansion of cultivable area in the village on Soil Health Management (through organic or balanced use of fertilizers method).
11.	Direct to Consumer marketing facilitation of organic produce for the farmers of the village.
12.	Skill development of women groups in Processing/packaging and marketing of farm processed food as well as other skills needed/identified for their livelihood generation/enhancement. Facilitation the marketing of processed food to the market.
13.	Skill development of new set of resource persons in village on upkeep and management of water bodies and other natural resources of the village and facilitation/management of Govt schemes suitable for the village.
14.	Facilitation of the formation of FPO for the village, if not already in place.
15.	Skill needs/gap mapping of villagers not involved in farming (Other than agri skills needed for the village for their livelihood engagement) and preparing the report on the same.
16.	Gradual development of the Krishi Gurukulam village into a natural agro economic zone and scaling up of marketing and for customer/market targetted cropping.
17.	Supervision of the project for the 2 years from the commencement date.


 Deputy Commissioner,
 Ranchi.